



**राजस्थान सरकार**  
**राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान**  
**चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग  
राजस्थान, जयपुर फोन नं० ०१४१-२२२१८१२, ई-मेल :- pcpndt-rj@nic.in**



फॉर्मांक : एफ(32) / एनएचएम / रा.स. / एसएसबी / २०१६ / ११८

दिनांक :- १९/१०/१६

### बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक ०३.१०.२०१६ को अपराह्न ०३.०० बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं पदेन अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी श्रीमान् राजेन्द्र सिंह राठौड़ महोदय की अध्यक्षता में आरएचएसडीपी हॉल स्वास्थ्य भवन में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची (परिशिष्ट 'अ') के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य संबंधित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

श्री नवीन जैन अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा रवारथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मिशन निदेशक एनएचएम ने माननीय अध्यक्ष महोदय सहित बैठक के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक के एजेंडा आइटम का रांकिष्ट व्यौरा प्रस्तुत किया। बाद में सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजेंडा आइटम के अनुसार चर्चा करके सर्वसमर्ति से निर्णय लिये गये :-

1. पिछलो राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड बैठक दिनांक 15.06.2016 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन।
2. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने अवगत कराया कि राज्य में वर्ष 2016 में अधिक से अधिक निरीक्षण किये जा रहे हैं। श्री नवीन जैन ने बताया कि अधिनियम के अनुसार प्रत्येक तिमाही में सभी केन्द्रों का एक बार निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। माननीय बोर्ड ने निर्देश दिये कि वर्ष 2016 की अंतिम तिमाही में सभी पंजीकृत केन्द्रों का आवश्यक रूप से निरीक्षण कर लिये जाये।
3. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने बताया कि राज्य में सोनोग्राफी केन्द्रों का पंजीयन व नवीनीकरण समय-समय पर किये जा रहे हैं।
4. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड को अवगत कराया गया कि राज्य में अब तक 42 डिकॉय ऑपरेशन किये गये हैं। डिकॉय ऑपरेशन के दौरान विगिन्स प्रकार की कठिन समस्याएं आती हैं। आपातकालीन/विशेष परिस्थितियों में मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही की जानी होती है एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियाचयन हेतु अन्य आदेश तत्काल जारी किये जाने नितान्त आवश्यक होते हैं लेकिन उक्त आदेश जारी करने के लिये सक्षम आधिकारिता का होना आवश्यक होता है। माननीय बोर्ड ने विवार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया कि राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, आपातकालीन/विशेष परिस्थितियों में केवल अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी को डिकॉय ऑपरेशन/निरीक्षण/परिवाद प्रस्तुत करने एवं पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अनूसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश देने के लिये प्राधिकृत करता है।
5. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने अवगत कराया कि राज्य में कन्या भ्रुण हत्या में संलिप्त व्यक्तियों को डिकॉय कार्यवाही के माध्यम से पकड़ा जा रहा है। सत्र 2016-2017 में अब तक 12 डिकॉय कार्यवाही की गई है जिसमें छ: कार्यवाही अन्तर्राज्यीय की गई हैं। तीन डिकॉय ऑपरेशन उत्तरप्रदेश में, दो गुजरात में, एक कार्यवाही हरियाणा में की गई। श्री नवीन जैन ने प्रस्ताव रखा कि राज्य में लगातार डिकॉय कार्यवाही की जा रही है व मुखबिर योजना में लगाने वाली सम्पूर्ण राशि जिसमें प्रलोभन धनराशि, मुखबिर योजना में मुखबिर, बोगस ग्राहक व सहयोगी को दी जाने वाली सम्पूर्ण धनराशि, डिकॉय कार्यवाही के तहत खर्च अन्य धनराशि भी शामिल हैं, का पुनर्भरण कार्यवाही किये जाने वाले सम्बन्धित जिले के पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 5 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से किया जा सकता है। माननीय बोर्ड ने निर्णय लिया कि उक्त सम्पूर्ण धनराशि का पुनर्भरण पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 5 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले में प्राप्त धनराशि वैर्तने से किया जाये।
6. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने बताया कि राज्य में जिलों के सक्षम माननीय न्यायालय में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद पेश किये जाते हैं तथा वर्तमान में राज्य में विजिन्स


न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है। इन प्रकरणों में गवाहों को परिस्थितिनुसार न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। गवाह के समक्ष आगे वाली वितीय समझाओं के कारण गवाह समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं जिस कारण प्रकरणों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। माननीय बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस हेतु गवाह के यात्रा, उहरने व खानपान के लिये खर्च धनराशि का भुगतान पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 5 के अन्तर्गत प्राप्त राशि से किया जाये एवं यह भुगतान उसी जिले से किया जाये जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण विचाराधीन है।

7. माननीय बोर्ड को अवगत कराया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं का समय पर जवाबदावा प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में भी प्रभावी पैरवी की जा रही है।
8. माननीय मंत्री महोदय ने निर्देश दिये कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अन्तर्गत सभी जिलों में सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं। परिवादों की प्रभावी पैरवी होनी चाहिये। इस हेतु सभी सम्बन्धित माननीय न्यायालय के लोक अभियोजक, जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की एक कार्यशाला का आयोजन किया जाये।
9. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में दायर सिविल/क्रिमिनल याचिकाओं की पैरवी हेतु ए.ए.जी. को नामित किया जाना है। माननीय बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस हेतु ए.ए.जी. सरदार श्री जी.एस.गिल को नामित करने के लिये विधि विभाग से आदेश प्राप्त किये जाये।
10. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने माननीय बोर्ड को अवगत कराया कि आमजन, छात्र-छात्राओं में एक जागरूकता अभियान ""Daughters Are Precious" आरम्भ किया गया है। यह अभियान बैंक ऑफ बड़ौदा व एनएचएम के आपसी सहयोग से किया जायेगा। "Daughters Are Precious" के बैनर तले सम्पुर्ण राज्य में विभिन्न महाविद्यालयों, विद्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। अभियान का प्रथम कार्यक्रम कानोड़िया महिला महाविद्यालय में आज आयोजित किया जा चुका है।
11. माननीय मंत्री महोदय ने निर्देश दिये कि प्रचार प्रसार हेतु एक Short Film/Presentation बनाई जाये व जिला स्तर पर सार्वजनिक स्थानों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड आदि पर 104 टोल फ्री, मुखबिर योजना व Success Story बताई जावे।
12. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने RED ALERT SYSTEM के बारे में माननीय बोर्ड को अवगत कराया कि इस सिस्टम का प्रभावी रूप से फॉलोअप किया जा रहा है।
13. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने बैठक में आये समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक को यह सख्त निर्देश दिये कि पूर्व की भाँति CHILD TRACKING SYSTEM को लगातार जारी रखा जाये। सभी समन्वयक अपने जिले में इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित दायरे में आगे वाली गर्भवती महिला का डाटा प्राप्त कर ट्रैकिंग का कार्य निरन्तर करेंगे।
14. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने बताया कि टोल फ्री नम्बर 104 पर प्राप्त शिकायतों की मॉनिटिरिंग की जा रही है तथा प्राप्त शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण किया जा रहा है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड ने सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि राज्य में बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) में सन्तुलनात्मक स्थिति प्राप्त करना राज्य सरकार की प्रथम वरीयता है तथा उन्होंने इस लक्ष्य को अमली जामा पहनाने हेतु माननीय सदस्यों से महत्वपूर्ण सुझाव आमन्त्रित किये।

माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझाव एवं उन पर चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय की सहमति के साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर सर्वसमति से निर्णय लिया गया कि :-

1. इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में भरे जा रहे ऑनलाईन फॉर्म एफ तथा मैन्यूल फॉर्म एफ में द्वितीय तिमाही में सोनोग्राफी के संतान सम्बन्धी विश्लेषण किया जाये तथा जिन गर्भवती महिलाओं के प्रथम एक या अधिक संतान बेटियां हैं, उनकी आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एएनएम के माध्यम से काउन्सिल करवाकर उनमें बेटा-बेटी एक समान है कि भावना का प्रचार प्रसार करना तथा मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना।



2. जेण्डर संवेदनशीलता एवं समाज में बेटी का महत्व व बेटी की गरिमा बढ़ाने हेतु वर्ष 2016-17 में "Daughters Are Precious", Youth Development Centre(YDC), National Cadet Corps(NCC), National Service Scheme(NSS), Scout and Guide के माध्यम से राज्य के समस्त महाविद्यालयों, विद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों में युवाओं व आमजन के लिये कार्यक्रम आयोजित करवाना।
  3. डिकॉय कार्यवाही में सहायता करने वालों को लगातार प्रेरित करना। मुख्यबिर योजना का जनसमुदाय में प्रचार प्रसार करना। विभिन्न प्रकार के एनजीओ को भी पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रोत्साहित करना।
- बैठक लगभग दो घण्टे तक चली।
  - आगामी बैठक नियमित अवधि चार माह के अंतराल पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
  - बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय व सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।

(संजना जैसव)

अध्यक्ष राज्य प्रमुचित प्राधिकारी  
(पीसीपीएनडीटी) विशिष्ट शासन सचिव एवं  
मिशन निदेशक (एनएचएम)  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग,  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

**A**

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा बी-13, एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर, मोबाइल नं. 9413350111, 9414286045
5. श्रीमति संजना आगरी, माननीय विधायक, सोजत, पाली 2/4 विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर मोबाइल नं 0 9928371601, 9829088165। (Email :- [sanjanaagari@gmail.com](mailto:sanjanaagari@gmail.com))
6. श्रीमति अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाइल नं. 9414077990
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
12. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
13. डॉ नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी-8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर मोबाइल नं 9414238226। (E-mail:- [neetapatni@gmail.com](mailto:neetapatni@gmail.com))
14. श्री कानसिंह राठोड, विधि विशेषज्ञ, बी-140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर मोबाइल नं 9414123444
15. श्रीमति सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3-जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर मोबाइल नं 9829363672 (Email :- [seemadaya3@gmail.com](mailto:seemadaya3@gmail.com))

16. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107-यूनिक सांधी अपार्टमेंट, महाबीर नगर, टोक रोड, जयपुर मोबाइल न0 9829394789 (E-mail:- manjusharmabjp@gmail.com)
17. ॐ सुमन मेहदीरत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, 4-YA-20, जवाहर नगर, जयपुर मोबाइल न0 9829057336 (E-mail:- drsumanmittal@gmail.com)
18. ॐ गुदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर मोबाइल न0 9414044445 (Email :- drmridulgehlot@yahoo.com)
19. ॐ तरुण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119-केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मोबाइल न0 9314613665 (Email :- drtarunpatni@hotmail.com)
20. ॐ सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, पी-50, राज आंगन एनआरआई कॉलोनी, प्रतापनगर, जयपुर मोबाइल न0 9571106777
21. ॐ सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28-95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर मोबाइल न0 9314285434 (Email :- drskjain007@gmail.com)
22. ॐ भोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा मोबाइल न0 9461515147 (E-mail:-gopal.bhati.gb@gmail.com)

## B

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव (आरसीएच), भारत सरकार कमरा नं0 145 ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2. निजी सहायक, निदेशक, पीएनडीटी, (MOHFW) कमरा नम्बर 203-डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ट शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. ॐ (श्रीमती) भीना आसोपा, आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर मोबाईल नं. 9414581756, सादस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
5. श्री लोकेश कुमार तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी, वादकरण, शासन सचिवालय जयपुर।
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, राजस्थान।

## C

1. निजी सचिव, राजकुमारी दीया कुमारी, माननीय विधायक, सर्वाईमाधोपुर एवं ब्राण्ड एम्बेसेडर “बेटी बच्चाओं अभियान”, हाल निवास सिटी पैलेस, जयपुर, मोबाईल नं. 8003555511, 9829050077।

## D


1. श्री सौरभ श्याम समसेरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
2. श्री जी.एस0 गिल. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम एवं निदेशक, आईईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

## E

1. परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी एवं उप निदेशक, आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन(पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
4. सहायक निदेशक IEC, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 आईईसी, जयपुर।
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।



6. राज्य समन्वयक(पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज, जयपुर।
7. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/विधि सलाहकार(एनएचएम)/विधि सलाहकार(पीसीपीएनडीटी)/स्वास्थ्य प्रबन्धक/कनिष्ठ लिपिक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ एवं सलाहकार आई.ई.सी, मुख्यालय जयपुर।
8. समर्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
9. सेन्ट्रल सर्वर रूग, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
10. संबंधित रक्षित पत्रावली।

  
(रघुवीर सिंह)  
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), उप  
निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य  
पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,  
राजस्थान जयपुर।

परिशिष्ठ "अ"

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 03.10.2016 में उपस्थित सदस्यगण व आमंत्रित सदस्यों की

सूची:-

A

सदस्य – राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड :-

1. श्रीमति राजकुमारी हाड़ा, कार्यक्रम निदेशक, SRCW, प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री अशोक जांगिड़, अति.निदेशक(एस.एस.) प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. डॉ. मणोहर पारिक, ओएसडी आयुष, प्रतिनिधि प्रमुख शासन रायिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. डॉ० नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी-८, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
5. श्री कानसिंह राठौड़, विधि विशेषज्ञ, बी-१४०, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर।
6. डॉ० सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, जयपुर।

B

सदस्य – राज्य समुचित प्राधिकारी :-

1. श्री नवीन जैन, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ट शासन सचिव (प०क०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर एवं सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।

C

विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यगण :-

1. श्री ओमप्रकाश कसेरा, प्रबन्ध निदेशक आरएमएससी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
2. डॉ. पुष्पा सत्यानी, अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रतिनिधि विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री गोविन्द पारिख, उप निदेशक आ.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

D

सदस्य – राज्य व जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ :-

1. जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलवर, चूरू एवं राजसमन्द।
2. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान (जिला समन्वयक बाड़मेर, बीकानेर, दौसा, डुंगरपुर, जैसलमेर, सीकर, श्रीगंगानगर को छोड़कर)
3. समस्त स्टाफ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ / पुलिस थाना पीबीआई, राजस्थान जयपुर।

(रघुवीर सिंह)

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।